न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2021

अपीलांट–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
बालाराम पुत्र श्री अर्जुनराम उर्फ उरजाराम जाति जाट निवासी नया सिगोडिया (सिगोडिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. केसराराम पुत्र श्री टीकमाराम उर्फ टीकूराम 2. गोमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम उर्फ उरजाराम फौत के कायम मुकाम 2/1. रामचन्द पुत्र श्री गोमाराम 2/2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री गोमाराम 2/3. श्रीमती मूलीदेवी धर्मपत्नी श्री गोमाराम 3. गोमाराम पुत्र श्री टीकमाराम उर्फ टीकूराम 4. लालाराम पुत्र श्री मोडाराम 5. जेठाराम पुत्र श्री तेजाराम 6. नगाराम पुत्र श्री तेजाराम 7. पीराराम पुत्र श्री तेजाराम 8. सोनाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी नया सिगोडिया (सिगोडिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर 9. अधिशाषी अभियन्ता बाड़मेर लिफ्ट फैज–2, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड–प्रथम बाड़मेर जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2[illegible] जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–

1. श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 12.10.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2008 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नया सिगोडिया एवं हरूपाणी के खसरा नम्बर 509, 510, 533 एवं 679 कुल रकबा 289–14 बीघा भूमि अर्जुनराम टीकमाराम हीराराम, लालाराम पि0 मोडाराम 1/2 सोनाराम, जेठाराम, पीराराम, नगाराम पि0 तेजाराम 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा राजस्व अभियान 2008 के तहत कैम्प सिगोडिया बायतु में तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान द्वारा बंटवाडा हेतु सहमति पर उक्त विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2008 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2008 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 का विश्वास कर खातेदारान के मध्य कब्जा एवं हिस्सा अनुसार संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव दिया एवं उसके कहे अनुसार कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये जबकि उक्त पेपरों के संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुये नहीं थे। अपीलांट द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बताया कि बाद में पटवारी मौक पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांकों को बिना प्रभावित करते हुये तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुये ही सही रंग भर देंगे। वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलाधीन आराजी पर बंटवाडे में बताये रंग अनुसार अपीलांट काबिज न होकर उससे विपरीत काबिज हैं। विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारों की सहमति बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई। अपीलकर्ता एवं उत्तरदातागण के मध्य जिस प्रकार कब्जा का विभाजन हुआ था उस अनुसार मौके पर तरमीम नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है, उस आदेश में अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता 1 से 9 के मध्य हिस्से को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार भौतिक कब्जे का विभाजन हुआ था एवं मौके पर काबिज है, उस अनुसार तरमीम नहीं होने से अपीलाधीन आदेश दुषित हो गया है एवं मौके एवं रेकर्ड की भिन्नता के कारण विवाद है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के आधार पर जो तरमीम की गई थी उसकी जानकारी तत्समय अपीलकर्ता को नहीं हो सकी। अपीलांट को उक्त तरमीम की जानकारी तब हुई जब उसने राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरकरण की आवश्यक नकलें भू–अभिलेख व पटवारी से मांगी और उसे दिनांक 19.08.2021 को नकलें प्राप्त हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:49 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा पेश तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नया सिगोडिया एवं हरूपाणी के खसरा नम्बर 509, 510, 533 एवं 679

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

कुल रकबा 289–14 बीघा भूमि अर्जुनराम टीकमाराम हीराराम, लालाराम पि0 मोडाराम 1/2 सोनाराम, जेठाराम, पीराराम, नगाराम पि0 तेजाराम 1/2 कौम जाट सा0 देह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा राजस्व अभियान 2008 के तहत कैम्प सिगोडिया बायतु में तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान द्वारा बंटवाडा हेतु सहमति पर उक्त विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2008 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार खातेदारान के भौतिक कब्जे से विभाजन तरमीम भिन्न प्रकार से अंकित कर दी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 43 दिनांक 29.01.2008 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:49 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)